

आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-ता० से तक

जिला सं० सन् 20 13/14

केस का प्रकार C.N.T. Act की धारा 46 के तहत S.T. की भूमि विक्री परमिशन

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

5-3-2014.

आवेदक चित्तेरा रामानंद सिंह पिता स्व. बासुदेव सिंह जाति खरवार सा० केतमा पो० अम्बारखोरेया धाना धुरकी जिला गढ़वा राज्य कारखाने ने आवेदन पत्र देकर अपनी निम्नांकित भूमि की विक्री केता (1) सुर्यदेव सिंह (2) सुरेन्द्र सिंह दोनों पिता श्री मखीरन सिंह जाति खरवार सा० केतमा पो० अम्बारखोरेया धाना धुरकी जिला गढ़वा के हाथों विक्री करने की अनुमति की मांग की है।

भूमि का विवरण

ग्राम-धाना-नं०	खाना	प्लॉट	रकबा	चौहद्दी
केतमा 170	34	694 1016	0.523	उत्तर-विजय सिंह द०-कामेश्वर सिंह पू०-रामदेव सिंह प०-मखीरन सिंह
			0.523	

(बाकन डी० मात्र)

आम ईस्तहार निर्गत करें एवं संबंधित अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग करें।
30-3-2014 तक करें।

अप सभाधी भू सु०
नगर उपाधी

र

क्ट के

ह दोने के

ने है।

र सिंह
सिंह

पित।

आदेश की
क्रम सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर
कारवाई के बारे
टिप्पणी, तारीख
सहित

1

27-9-14

अभिलेख उपर्युक्त पिता अंचल अधिकारी, धुरकी
के पत्रांक 156 दिनांक 1-8-14 से जाँच प्रतिवेदन
एवं आम ईस्तेफार की तामिला प्रति प्राप्त हुआ
जिसका अवलोकन किया। अवलोकन से विदित
होता है कि केता एवं विक्रेता दोनों एक
ही ग्राम एवं थाना के रैयत हैं तथा दोनों
एक ही जाती के रैयत हैं। स्वतिसानी रैयत
का आवेदक का सम्बन्ध परनाना-परनानी
का सम्बन्ध है एवं जमावद्वार रैयत से आवेदक
का सम्बन्ध माता एवं पुत्र का सम्बन्ध है।
प्रस्तावित भूमि की विक्री के पश्चात् भूमि विक्रेता
भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। प्रस्तावित
भूमि की विक्री हेतु अंचल अधिकारी द्वारा अनुमति
की गई है।

अतः इनके अनुमति के आलोक में विक्रेता
रामनन्दन सिंह पिता स्व० वल्लभ सिंह सा० केतमा थाना
धुरकी का निर्माकित भूमि के केता (1) सूर्यदेव सिंह
पौ (2) सत्येन्द्र सिंह दोनों के पिता अखिरन सिंह सा०
केतमा थाना धुरकी जिला जदवा के दख्खान निर्माकित
भूमि विक्री करने की रकीर दी जाती है।

भूमि का विवरण

ग्राम-थाना नं० खाता प्लॉट रकबा चौदही

केतमा
170

34

694
1016

0.523

अनर विजय सिंह १०-कमलेश्वर सिंह
बू-रामदेव सिंह प०-अशोक सिंह

अपर निर्यक्त पदाधिकारी नगर उत्तरी एवं
आवेदक को सूचित करें।
लेखापति/संशोधित

मू० सु० उप सहाय
नगर उत्तरी

मू० सुधार उप सहाय
नगर उत्तरी